मध्य प्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल, म.प्र.
फोन-0755-2708493, ईमेल- pssocialjustice@mp.gov.in

क्रं./ 1102/2106771/2024/262 भोपाल, दिनांक 20/ 06 /2024
प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत, म.प्र.।

विषय :- पेंशन हितग्राहियों की डुप्लिकेट समग्र आईडी पर कार्यवाही करने के संबंध में ।

समस्त पेंशन हितग्राहियों की समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी कराने की कार्यवाही प्रदेश में की जा रही है। 19 जून 2024 की स्थिति में 54.50 लाख पेंशन हितग्राहियों में से 46.13 लाख पेंशन हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर आधार eKYC हो चुका है। 8.35 लाख पेंशन हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर आधार eKYC किया जाना शेष है।

ई-केवायसी कराने के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया है कि, पेंशन हितग्राहियों की एक से अधिक समग्र आईडी बनी हुई है, जिनमें से एक समग्र आईडी पर अन्य विभागों की योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा रहा है व समग्र पोर्टल पर उक्त समग्र आईडी पर आधार eKYC की जा चुकी है। अत: एक समग्र आईडी में आधार eKYC हो जाने की स्थिति में पेंशन हितग्राही की दूसरी समग्र आईडी में आधार eKYC किया जाना संभव नहीं है।

अत: उपरोक्तानुसार पेंशन हितग्राही की डुप्लिकेट समग्र आईडी होने की स्थिति में जिस आईडी से पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, उक्त आईडी को डिलीट किया जाए व हितग्राही की अन्य समग्र आईडी जिस पर आधार eKYC की जा चुकी है से पात्रतानुसार पुन: आवेदन कर पेंशन स्वीकृत की जाये।

उल्लेखनीय है कि, भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार आगामी माहों में हितग्राहियों की पेंशन आधार बेस्ड डी0बी0टी0 किया जाना है । अत: प्रत्येक हितग्राही की प्रोफाईल पूर्णतया सत्यापित होना आवश्यक है । पेंशन पोर्टल पर डुप्लिकेट समग्र आईडी को लिंक करने की सुविधा एन.आई.सी. द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसकी सहायता से दोनो आईडी को लिंक करने के उपरांत पुन: आवेदन कर पेंशन स्वीकृत करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(सचिन सिन्हा)
प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र.

पृ0 क्रं./ 1103/21067771/2024/26-2 भोपाल, दिनांक 20/ 06 /2024

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग।
2. प्रबंध संचालक, एम0एस0ई0डी0सी0, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
4. समस्त आयुक्त, नगर निगम, म.प्र.।
5. संचालक (तकनीकी), एन.आई.सी., म.प्र. की ओर पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान करने हेतु।
6. समस्त संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, म.प्र.।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म.प्र.।
8. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद, म.प्र.।
9. समस्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, म.प्र.।

प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र.

पेंशन हितग्राहियों की डुप्लिकेट आईडी पर कार्यवाही करने के संबंध में

Login by Local Body User (JP/ULB)

Merge (Duplicate Account)

उपरोक्त सुविधा ऐसे प्रकरणों के लिये है, जिनकी पेंशन बंद अथवा Hold कर दी गई है एवं नवीन समग्र आईडी से पुन: आवेदन करने पर मैसेज आता है कि उक्त खाता नम्बर पूर्व से दर्ज है।

उक्त प्रकरणों में यदि पूर्व से दर्ज खाते का उपयोग कर पेंशन हेतु आवेदन किया जाना है तो उक्त सुविधा का उपयोग कर पहले मर्ज करें तदउपरांत पुन: आवेदन कर पेंशन स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा सकती है।

जिन प्रकरणों में हितग्राही की 1 से अधिक समग्र आईडी बनी हुई है, उन प्रकरणों में भी पेंशन आईडी को डिलीट कर उक्त प्रणाली से मर्ज कर वास्तविक समग्र आईडी से पुन: आवेदन किया जा सकता है।